रजिस्टर्ड सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 1976/फाल्गुन 23, 1897

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 1976/PHALGUNA 23, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Sepa ... given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 363.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियम, 1964 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियम, 1964 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3 सतर्कता आयोग के स्टाफ में एक सचिव और अन्य वे अधिकारी और कर्मचारी होंगे, जो राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें :

परन्तु केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के स्टाफ में कर्मचारियों के पदों के सृजन की, समय-समय पर यथा संशोधित 'वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958', में अधिकथित शर्तों की सीमा और उनके अधीन रहते हुए, मंजूरी दे सकेगा।"

[संख्या 261/2/74-ए वी डी-2]

वी० सी० पंजानी, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 26th February, 1976

G.S.R. 363.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Vigilance Commission (Staff) Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Vigilance Commission (Staff) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 391.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी–1 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (क) आकाशवाणी (श्रेणी–1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 1 के सम्मुख कालम-2 के अन्तर्गत "अपर केन्द्र निदेशक (वाणिज्यिक)" शब्दों के स्थान पर "केन्द्र निदेशक (वाणिज्यिक)" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा० सं० 1(8)/75-बी(ए)]
मोहन लाल टंडन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 20th February, 1976

G.S.R. 391.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules furtrer to amend the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, against Serial number 1, in column 2, for the words "Additional Station Director (Commercial)", the words "Station Director (Commercial)", shall be substituted.

[F. No. 1(8)/75-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1976

सा०का०नि० 392.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यटक संगठन (राजपत्रित कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1959 में और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम पर्यटक संगठन (राजपत्रित कर्मचारिवृन्द) भर्ती संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यटक संगठन (राजपत्रित कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1959 में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के पर्यटक संगठन में सहायक निदेशक प्रबन्धक पर्यटन अभिवृद्धि अधिकारी के पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक/प्रबन्धक/पर्यटन अभिवृद्धि अधिकारी	50	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख'	रु० 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 (पुनरीक्षित)	चयन	30 वर्ष से अनधिक (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय) टिप्पण : आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो भारत में (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अलावा) अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख है।	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य (ii) जन संपर्क या प्रचार या प्रशासनिक कार्य का 3 वर्ष का अनुभव या लोक प्रशासन में डिप्लोमा अथवा उपरोक्त रूप में 2 वर्ष के अनुभव सहित जनसंपर्क का प्रशिक्षण (iii) भारत में पर्यटकों की रुचि के स्थानों और भारतीय इतिहास तथा संस्कृति का ज्ञान (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों) और विशेषकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में, अनुभव संबंधी अर्हताएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी। वांछनीय (1) विदेश यात्रा का अनुभव। (2) अंग्रेजी के अलावा, विदेशी भाषाओं, अधिमान्यतः फ्रेंच और या स्पेनिश और या जर्मन और या रूसी जैसी विदेशी भाषाओं का ज्ञान।